सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

गोरखपुर–परिक्षेत्र, गोरखपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

परिक्षेत्र गोरखपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार गोरखपुर परिक्षेत्र के पुलिस विभाग के सम्बन्ध मे निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है-

पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्य का विवरण-

1. उ0 प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा-02 के अनुसार- पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के प्रभारी होते है। उन्हे यह देखना होता है कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाये जा रखा है। उनको अपने अधीनस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों से निकट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये और जिसके लिये तत्पर रहना चाहिये। उन्हे कम से कम वर्ष में एक बार प्रत्येक जिलों के अधीक्षको के कार्यो का पर्यवेक्षण करना चाहिये।

2. उ0 प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा-03 के अनुसार- पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने परिक्षेत्र में अपराधों के साधारण पर्यवेक्षण के लिए दायित्वाधीन है। उन्हें यह देखना चाहिये कि गम्भीर अपराध को रोकने के लिए उचित उपाय किए गए हैं और जिलों का आपस में सहयोग प्रभावी है। इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ उन्हें पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के प्रारूप संख्या-138 के अधीन डकैती, हत्या, लूट, विष प्रयोग, प्रकीर्ण मामलों का रजिस्टर रखना चाहिए वह अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को पेश करेगें, जिसमें कि उनके परिक्षेत्र से संबंधित कोई भी ऐसा मामला होगा जिसे कि उनके विचार में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को सूचित करना चाहिए। प्रत्येक मामले की संक्षिप्त विशिष्टियों को देखते हुए उन्हें डकैती के कथनों को संलग्न करना चाहिए। आसामान्य मामलों में अपराध विशेष को देखेंगे। पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के लिए जो भी मामले आवश्यक प्रकृति के हों तथा जिसमें सरकार को तुरन्त सूचना अपेक्षित हो जैसे गंभीर अपराध, शांति भंग, यूरोप और भारतीयों के मध्य टकराव तथा राजनैतिक मामलों के महत्वपूर्ण विषयों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को सूचना तत्काल दी जाएगी, किन्तु यथासंभव पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र वह माध्यम होंगे, जिसके द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) सूचना प्राप्त करेंगे। जिले के पुलिस प्रशासन को वार्षिक प्रतिवेदन के प्राप्ति के पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को अपने संपूर्ण परिक्षेत्र के लिए समस्त विषयों पर टिप्पणी सहित जिसका उल्लेख किया जाना अपेक्षित है, एक पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करके पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को प्रेषित की जाएगी।

पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र में पुलिस की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग केन्द्रों में पर्यवेक्षण और सामंजस्य हेतु उत्तरदायी होंगे इसका वह समय समय पर निरीक्षण करेंगे, इसके अतिरिक्त वह परिचित प्रशिक्षण की नवीनतम् रीतियों से संपर्क में रहेंगे तथा उन्हें प्रयोग के तौर पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अंगीकृत करेंगे।

1.1 परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन-

गोरखपुर परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन निम्न प्रकार से है-

पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी
पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर
	पुलिस अधीक्षक, जनपद देवरिया
	पुलिस अधीक्षक, जनपद कुशीनगर
	पुलिस अधीक्षक, जनपद महराजगंज

1.2 परिक्षेत्र में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण-

क्र0 सं0	पदनाम	कार्य	पर्यवेक्षण
1	सहायक रेडियो अधिकारी	परिक्षेत्र में संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना व अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाये रखना।	पुलिस महानिरीक्षक गोखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर।
2	पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षण (पद रिक्त)	परिक्षेत्र में प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण का समन्वय एवं मार्ग-दर्शन करना।	पुलिस महानिरीक्षक गोखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर।
3	अवर अभियंता गोरखपुर परिक्षेत्र(पद रिक्त)	भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख-रखाव के प्रस्ताव तैयार करना तथा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।	पुलिस महानिरीक्षक गोखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर।

2. पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र की शक्तियां एवं कर्तव्य-

पुलिस अधिनियम, उ0प्र0 पुलिस रेग्युलेशन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं-

2.1 पुलिस अधिनियम-

धारा	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र की शक्तियां एवं दायित्व
	संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाये जाएं, अधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक

7	एवं पुलिस महानिरीक्षकगण, सहायक महानिरीक्षकगण, पुलिस महानिरीक्षकगण एवं जिला पुलिस अधीक्षकगण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित या अवनत कर सकते हैं, जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल व उपेक्षावान पाएं या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाएं या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या सेवकगण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेता है।

2.2 पुलिस रेग्युलेशन-

प्रस्तर	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र की शक्तियां एवं दायित्व
391	परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र अस्थायी रूप से अपने एक जिले के पुलिस बल को अन्य जिलों के निरीक्षक के ऊपर की पंक्ति के न होने वाले पुलिस अधिकारियों को हटाकर डकैती के विरूद्ध अभियान चलाने या मेले जैसे प्रयोजनों के लिए वृद्धि करने के लिए सक्षम है। अतिरिक्त पुलिस के लिए पुलिस अधीक्षक को परिक्षेत्र के लिए पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। वार्षिक मेला व समारोहों के लिए नियतकालिक अपेक्षाओं के लिए जिनके लिए साधारणतया भारी संख्या में बलों को नियोजित किया जाता है। पर्याप्त समय से सूचना दी जानी चाहिए।
434	निरीक्षकों की पदोन्नति, वेतनवृद्धि के समयमान की स्थिति द्वारा विनियमित होती है। मूल नियम 25 के अधीन दक्षता अवरोध के परे वृद्धियों की मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र है। वार्षिक वृद्धियों के रोकने का आदेश मूल नियम 24 के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया जा सकेगा।
435	रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति के प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति किए गए उप निरीक्षकों का प्रथमतः परीक्षण तथा साक्षात्कार उनके पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा किया जाएगा।
439(1)	अपने वार्षिक निरीक्षक के दौरे के अनुक्रम में परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र यह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाऐंगे कि सभी उपनिरीक्षकों में जो निरीक्षक पद पर स्थायी या अस्थायी रूप से प्रोन्नति के लिए अनुमोदित किए गए हैं, वर्ष के दौरान किस रीति से कार्य किया है, तथा उनकी सामान्य ख्याति क्या है? उस जिले से संबंधित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक से पूछ-ताछ करते हुए उनसे उन थानों का निरीक्षण करते हुए जहां वे तैनात हों, जब संभव हो व्यक्तिगत साक्षात्कार करके कदम उठाएंगे। प्रत्येक परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र प्रत्येक अधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से यह कथन करते हुए अपनी राय अभिलिखित करेंगे कि क्या वे इस बात की संस्तुति करते हैं कि क्या उनका नाम अनुमोदित सूची में बना रहे या उसे हटा दिया जाए।

439(4)	जब कभी पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र अनुमोदित सूची से किसी भी नाम को हटाने की सिफारिश करें तो प्रश्नगत अधिकारी की पदोन्नति पर तब तक विचार न किया जाए, जब तक समिति न बुलाई जाए तथा सिफारिश पर कोई कार्यवाही करने का निर्णय न ले।
442	जब किसी अधिकारी की प्रोन्नति के लिए पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र की सहमति अपेक्षित हो तो उस अधिकारी तथा किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो चरित्र पत्रावलियां अधिक्रमण का कारण देते हुए टीपों सहित पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के पास भेजी जाएगी।
445	उप निरीक्षक सिविल पुलिस पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ आरक्षियों तथा मुख्य आरक्षियों के चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षाएं सभी जिलों में एक पूर्व निर्धारित तिथि को मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले प्रबंध के अधीन संचालित की जाती हैं। उत्तरपुस्तिकाएं संबंधित पुलिस महानिरीक्षकों को अग्रसारित की जाती हैं, जो उनकी जांच तीन पुलिस अधीक्षकों के बोर्ड से कराएंगे। तदोपरान्त एक बोर्ड जो परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा नामजद पी0ए0सी0 के एक कमाण्डेन्ट व सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक से गठित होगा, प्रत्येक जिले का दौरा करके उन सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों की समीक्षा करेंगे जो परी क्षा मे अर्ह हुए हैं इस आशय से अभ्यर्थियों की सामान्य ड्रिल व शारीरिक परीक्षण की परीक्षा भी की जायेगी। इस प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा, चरित्र पंजी की समीक्षा तथा शारीरिक परीक्षा के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थी अन्तिम चयन हेतु परिक्षेत्र के नामजद व्यक्ति माने जाते हैं। परिक्षेत्र के नामित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा केन्द्रीय रूप से तैयार किये गये प्रश्न पत्रों के आधार पर होती है। जिनका मूल्यांकन पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा पुलिस अधीक्षकों द्वारा बोर्ड गठित करके कराया जाता है।
449	सवार पुलिस के शिवाय मुख्य आरक्षियों के पद पर प्रोन्नतियां पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के सामान्य नियंत्रण के अधीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी।
464	पारितोषिक में प्राप्त अनुदान प्रान्तीय होता है, किन्तु रिजर्व के लिए उपबन्ध कर दिए जाने के पश्चात् यह पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा विभाजित जो कि विशेष मामले में बड़े इनामों में देने के लिए धन रक्षित रखते हुए जिलों और अनुभागों में उसे आवंटित कर देते हैं, पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र बचत पारितोषिक का पुर्नवियोजन करने के लिए प्राधिकृत हैं।
465	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं दोषसिद्धि हेतु 12,000 रूपए की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है।
479(ग)	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ अस्थायी तथा स्थायी निरीक्षकों की पंक्ति के तथा उसकी पंक्ति के नीचे के सभी अधिकारियों को दंडित कर सकेंगे।

490(9)	ऐसे सभी मामलों में जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक या उप निरीक्षक की पदच्युति या उसके सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव करें उस मामले को अंतिम आदेश हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को अग्रसारित करेंगे।
500(ख)	यदि अधिकारी जिसके आचरण की निंदा की गई है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर का हो तो जांच परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा की जाएगी।
508(ग)	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्ध वेतन या प्रोन्नति रोकने का कोई आदेश अध्याय 30 के अधीन पारित किया गया है, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का आदेश प्राप्त है यदि वह आदेश पुलिस अधीक्षक का हो। यह अपील आदेश की प्राप्ति के 90 दिवस के अंदर होनी चाहिए।
520(5)	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने परिक्षेत्र के अंदर किसी भी अराजपत्रित प्राधिकारी का स्थानांतरण कर सकते हैं। पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र सभी निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और आरक्षियों को अपने संभाग में स्थानांतरित कर सकते हैं।
525	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र सिविल पुलिस के उन आरक्षियों को जिनकी सेवा 02 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम की हो अथवा सशस्त्र पुलिस बल के आरक्षियों की जिनकी सेवा 02 वर्ष से कम की न हो बल की किसी भी शाखा में स्थानांतरण कर सकते हैं।
537	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र अलग अलग मामलों में परिवीक्षाधीन किसी अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि को 01 वर्ष से अनाधिक किसी अवधि के लिए विस्तार कर सकेंगे।

2.3 दण्ड प्रकिया संहिता-

धारा	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र की शक्तियां एवं दायित्व
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधीकृत करती है।

2.4 उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991

धारा	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र की शक्तियां एवं दायित्व
20(1)	ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके विरूद्ध नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (3) और खण्ड ख के उपखण्ड (1) से (4) में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित किया जाए तो ऐसे दण्ड का आदेश के विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को अपील कर सकता है। यदि मूल आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उपनियम (4) के अधीन सशक्त अधिकारियों का हो।

2.5 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य-

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर पर समय समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को दिशा-निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, जिनके आधार पर अपेक्षित कार्यो का संपादन किया जाता है।

2.6 पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के अपेक्षित कर्तव्य-

1. अपने कार्य-क्षेत्र में पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करना।
2. अपने कार्य-क्षेत्र में अपराधों के रोक-थाम तथा उस पर नियंत्रण और अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों एवं संगठित गिरोंहो के विरूद्ध दस्तावेज तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. अपने कार्य-क्षेत्र में घटित समस्त स्पेशल रिपोर्ट अपराधों की विवेचनाओं की गहन समीक्षा करना और महत्वपूर्ण घटनास्थलों का निरीक्षण करना।
4. अपने कार्य-क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव पर पुलिस कार्य पर गहन पर्यवेक्षण करना एवं अधीनस्थ अधिकारियों का मार्ग-दर्शन करना।
5. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों की आंतरिक सुरक्षा योजनाओं को अद्यावधिक कराकर उन पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।
6. उन आंदोलनों जिसमें शांति-भंग हो अथवा शांति-भंग होने की आशंका हो, के विषय में कार्य-प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
7. समाज के दलित वर्ग व दुर्बल वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस की कार्य-प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
8. सप्ताह के प्रत्येक कार्य-दिवस में प्रात: 10:00 बजे से 12:00 तक अपने कार्यालय में जनता की शिकायतों को सुनने व उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु उपलब्ध रहना। किसी अपरिहार्य स्थिति में अनुपालन के कारण किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस कार्य हेतु नामित करना।
9. अपने कार्य-क्षेत्र में व्यापक भ्रमण करना एवं समय समय पर संवेदनशील स्थानों पर जनता की समस्याओं को सुनने एवं उनके निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं विशेष अपराधों की समीक्षा हेतु रात्रि-विश्राम करना।
10. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों के पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइंस आदि का स्थायी निर्देशों के अनुसार निरीक्षण करना।
11. पुलिस बल में अनुशासन बनाये रखना तथा उसमें सुधार लाना।
12. नियंत्रणाधीन पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु समुचित ध्यान देना।
13. शासन एवं पुलिस महानिदेशक व अपर पुलिस महानिदेशक, जोन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार निर्धारित सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों पर कार्यवाही सुनिश्चित करना।

14. ऐसे अन्य कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों जो समय-समय पर शासन एवं पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिदेशक, जोन द्वारा सौंपे जाएं उनका निर्वहन करना।
15. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जनता के प्रति व्यवहार में आशातीत सुधार लाना।
16. माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा डी0 के0 बसु केस में दिए गए प्रत्येक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना तथा प्रत्येक आक्स्मिक निरीक्षण में जो क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा स्वयं द्वारा दिये जाय में अनुपालन संबंधी निरीक्षण नोट अंकित करना।
17. उपलब्ध पी0ए0सी0 का आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के जनपदों को अस्थायी आवंटन।
18. परिक्षेत्र के किसी जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के अन्य जनपदों से पुलिस बल उपलब्ध कराना।
19. अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य व अन्य परिक्षेत्रों से परस्पर समन्वय बनाये रखना।
20. पुलिस मुख्यालय से कुछ शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त अनुदान का परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य उपयुक्त आवंटन।
21. जनपदीय पुलिस का आवश्यकतानुसार मार्ग-दर्शन करना।
22. परिक्षेत्रीय पुलिस का निर्धारित मापदंडों के अनुरूप स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति सम्बन्धी कार्य करना।
23. शासन व पुलिस महानिदेशक मुख्यालय व अपर पुलिस महानिदेशक जोन के निर्देशों का जनपदों में अनुपालन सुनिश्चित कराना।

2.7 पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा जनपदों के विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में किये जाने वाले निरीक्षणों का विवरण:-

शीर्षक शाखा	समय
शीर्षक प्रथम-पत्र व्यवहार शाखा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक द्वितीय-आंकिक शाखा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक तृतीय-पुलिस लाइंस	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक चतुर्थ-अभियोजन शाखा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक पंचम-अपराध	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-जनपद का सामान्य पुलिस प्रशासन	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-1-जनपद में नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में टिप्पणी	वार्षिक (जनवरी-मार्च)

शीर्षक षष्टम -2-जनपदों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, शिकायतों का निस्तारण	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-3-अधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षणों की गुणवत्ता व अनुपालन की समीक्षा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-4-अधिकारियों के दौरों की समीक्षा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-5-थानाध्यक्षों की मीटिंग	वर्ष में दो वार (जनवरी-जून),(जुलाई दिसम्बर)
शीर्षक षष्टम-6-जनप्रतिनिधियों से भेंट	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक षष्टम-7-पुलिस पेंशनर्स बोर्ड	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक सप्तम-भवन	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम्-1-महिला प्रकोष्ठ	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम्-2-विशेष जाच प्रकोष्ठ	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम्-3-जनपद अपराध अभिलेख ब्यूरो	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम्-4-फील्ड यूनिट जनपद	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम्-5अ-जिला नियंत्रण कक्ष	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम्-5ब-नगर नियंत्रण कक्ष शीर्षक नवम्-स्थानीय अभिसूचना इकाई	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर) वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक दसम्-थानों का निरीक्षण	जनवरी से जून-02 थाना जुलाई से दिसम्बर 02 थाना।

3.निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तर दायित्व के स्तर।

3.1 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया।

3.1(1) पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया।

क्र0 सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना।	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा	अविलंब
2	प्रार्थना-पत्र को डाक बही रजिस्टर में अंकित करना व संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय के	01 दिवस

	अधीक्षकों को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	
3	संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना।	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा।	02 दिवस
4	संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जा कर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट देना।	संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा।	07 दिवस
5	संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाए जाने पर पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को रिपोर्ट प्रेषित करना।	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा।	01 दिवस
6	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाए जाने पर प्रार्थना-पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अंतिम आदेश करना।	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा।	01 दिवस
7	प्रार्थना-पत्र मय जांच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना।	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा।	01 दिवस
8	जांच रिपोर्ट का रख रखाव	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा।	01 दिवस

3.1(2) पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया।

क्र0 सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय के गोपनीय सहायक द्वारा उसकी प्राप्ति स्वीकार करना।	गोपनीय सहायक द्वारा।	अविलंब
2	गोपनीय सहायक द्वारा लिफाफे को खोला जाना।	गोपनीय सहायक द्वारा।	अविलंब
3	संबंधित जनपद के वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही आदेशित करना।	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा।	01 दिवस में
4	प्रार्थना-पत्र को डाक बही रजिस्टर व संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना।	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा।	अविलंब

5	संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा।	02 दिवस में
6	संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट देना।	संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा।	15 दिवस में
7	संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाए जाने पर पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को रिपोर्ट प्रेषित करना।	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा।	01 दिवस में
8	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाए जाने पर प्रार्थना-पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अंतिम आदेश करना।	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा।	01 दिवस
9	प्रार्थना-पत्र मय जांच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना।	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा।	01 दिवस में
10	जांच रिपोर्ट का रख रखाव	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा।	01 दिवस में

3.1(3) परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षण-

पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय में संबंधित जनपद द्वारा विशेष अपराध आख्या का प्राप्त होना।	संबंधित जनपद के वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षकों द्वारा।	01 दिवस में
पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय में विशेष अपराध पत्रावली बनाना।	वाचक/पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा।	01 दिवस में
पर्यवेक्षण आख्या का प्राप्त होना।	संबंधित जनपद के वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षकों द्वारा।	10 दिवस में
क्रमागत आख्या का प्राप्त होना।	संबंधित जनपद के वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षकों द्वारा।	प्रथम आख्या 10 दिवस में शेष 01 माह के अंतराल पर।
क्रमागत आख्या मे प्राप्त कमियों पर आपत्तियों को प्रेषित किया जाना।	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा।	07 दिवस मे

क्रमागत आख्या मे प्राप्त कमियों पर आपत्तियों का निराकरण।	संबंधित जनपद के वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षकों द्वारा।	15 दिवस
कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुमोदनोपरान्त पत्रावली का बन्द किया जाना।	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा।	

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मापदण्ड।

4.1 परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षण-

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड।
1	परिक्षेत्र स्तर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना।	15 दिवस में
2	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही कराना।	15 दिवस में

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त-

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये अधिकारों का पूर्ण सम्मान करना ।
2. बिना किसी भय, पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना से समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियन्त्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास, यदि बल प्रयोग करना आवश्यक हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का प्रमुख कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना है।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कार्य कर रहे हैं जिनकी विधान में सामान्य नागरिकों से अपेक्षा की गयी है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन को विषम परिस्थतियों मे भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिये तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्ति तथा प्रशासनिक जीवन में विचार वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।

12. 'पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुये कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्व-धर्म समभाव एवं लोक-तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते जनता में सौहार्द व भाई-चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख।

क्र0 सं0	**अधिनियम, नियम, रेगुलेशन का नाम।**
1	पुलिस अधिनियम-1861
2	भारतीय दण्ड संहिता-1861
3	दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973
4	उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन
5	उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल
6	साक्ष्य-अधिनियम
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (अपील एवं दण्ड) नियमावली-1991
8	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999
9	वित्तीय हस्त-पुस्तिका
10	समय समय पर निर्गत शासनादेश
11	उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्यप्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी-

1. सेवा सम्बन्धी अभिलेख।
2. विशेष अपराध पत्रावली।
3. कानून व्यवस्था एवं आपराधिक-स्थिति की समीक्षा सम्बन्धी पत्रावलियां।
4. वेतन-भत्ते आकस्मिकता निधि एवं बजट सम्बन्धी अभिलेख।
5. शिकायत निस्तारण सम्बन्धी अभिलेख।
6. गार्ड फाइल।
7. भवन मरम्मत सम्बन्धी अभिलेख।
8. परिक्षेत्र में पी0ए0सी0 आवंटन सम्बन्धी अभिलेख।
9. पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभिलेख।

7. जनता की परामर्शदात्री समितियां जो संगठन में अर्न्तनिहित हैं-शून्य

8. बोर्ड परिषद, समितियां और अन्य निकाय जो संगठन के भाग या सलाह के लिये मौजूद हैं।

पुलिस विभाग मे इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नही है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका-

पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0-

क्र0 सं0	पदनाम/अधिकारीगण	आवास नं0	कार्यालय नं0	सी0यू0जी0 नं0
1	पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर, परिक्षेत्र	0551-2200668	0551-2201047	9454400209
2	कार्यालय नं0		0551-2201047	9454402588
3	परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता		0551-2201047	
4	गोपनीय सहायक		0551-2201047	
5	प्रधान लिपिक		0551-2201047	
6	आंकिक		0551-2201047	
7	जनसम्पर्क अधिकारी		0551-2201047	
8	वाचक पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र		0551-2201047	
9	सर्विलांस सेल		0551-2201047	
10	मीडिया सेल		0551-2201047	
11	वेबसाइट सेल		0551-2201047	

टिप्पणी- सी0यू0जी0 नं0 अधिकारियों के पदनाम से आवंटित है जो यथावत बना रहेगा। कार्यालय का सी0यू0जी0 नं0 पदनाम से आवंटित है, जो यथावत रहेगा।

10. अधिकारियों कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक-

क्र0 सं0	पद	वेतनमान	मूल वेतन
1	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र गोरखपुर	144200-218200 पे मैट्रिक लेवल-14	148500
2	गोपनीय सहायक	53100-167800 पे मैट्रिक लेवल-09	87700
3	प्रधान लिपिक(एस0 आई0 एम0)	47600-151100 पे मैट्रिक लेवल-08	68000
4	अवर अभियन्ता	67700-208700 पे मैट्रिक लेवल-11	67700

11. सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग-

वर्तमान मे विभाग में कोई उत्पादन कार्यक्रम प्रचलित नही है।

12. अधिनियमान्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें-

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र/ वाचक पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र	प्रात: 10:00 बजे से 17:00 तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किए जाने का स्थान	उपरोक्त	विलंबत: 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घंटें
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रूपया प्रथम घण्टा के पश्चात् 5 रूपए प्रति 15 मिनट)	पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली धनराशि का विवरण (10 रूपया प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को नि:शुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

नोट- सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (रूपया 25000 से अनधिक) भी देय होगा।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण- शून्य।

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना-

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबंद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जाएगा।

15. लोक-सूचना अधिकारियों के नाम व पद नाम-

पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र, कार्यालय में लोक-सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गई है-

क्र0 सं0	परिक्षेत्रीय जन-सूचना अधिकारी	सहायक जन-सूचना अधिकारी का पद	अपीलीय अधिकारी का पद
1	प्रधान लिपिक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर।	गोपनीय सहायक/वाचक कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर।	अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर उ0प्र0।

टिप्पणी- सी0यू0जी0 मोबाइल नंबर राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के पद नाम से आवंटित है।

16. अन्य कोई विहित सूचना- शून्य।

25.06.21

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,
गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर।

समाप्त